221

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–यू0ओ0–03 / XXVII(9) / 2013 / स्टाम्प / 2010–T.C
देहरादून: दिनांक: 20 मार्च, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 78 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ग्राम सुमाड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल, में स्थित 30.688 हैक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एन0आई0टी0) के नाम दान पत्र के माध्यम से अंतरित किये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–यू0ओ0–03 / XXVII(9) / 2013 / स्टाम्प / 2010–T.C तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव / सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / जिलाधिकारी, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून उत्तराखण्ड।
5. न्याय / विधायी अनुभाग।
6. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्तअधिसूचना को (अंग्रेजी के रूपान्तरण सहित) आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100–100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. U.O.03/XXVII (9)/ 2013/ Stamp/2010-T.C. Dehradun:: dated: 20 March, 2013 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No.U.O.03 /XXVII(9)/2013\Stamp/2010-T.C
Dehradun: Dated: 20 March, 2013

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section(1) of Section 9 of Indain Stamp Act, 1899 (Central Act no-2 0f 1899) and Section 78 (A) of Registration Act, 1908, The Governor is pleased to remit the stamp fees and registration fees chargeable by the State Government on transfer of 30.688 Hect. land situated at village Sumari, Distt. Pauri Garhwal, by way of giftdeed to the National Institute of Technology (NIT).

(Radha Raturi)
Principal Secretary.

361

संख्या — /2015/XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008 /TC-I

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–9

देहरादूनः दिनांक 23 जुलाई, 2015

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में स्टाम्प विक्रेताओं को ई–स्टाम्पिंग सेवा हेतु अधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्त किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम 13 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं को ई–स्टाम्पिंग के माध्यम से स्टाम्पों की आपूर्ति हेतु स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के अधीन प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (ए0सी0सी0) के रूप में नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– (i) पंजीकृत स्टाम्प विक्रेता ई–स्टाम्पिंग हेतु केन्द्रीय अभिलेख–अनुरक्षण–अभिकरण अर्थात् स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ पृथक से अनुबन्ध करेंगे। पंजीकृत स्टाम्प विक्रेता एवं स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मध्य अनुबन्ध जिला कोषागारों के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा।

(ii) उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली 1942 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम–156 के अनुसार यद्यपि पंजीकृत स्टाम्प विक्रेता किसी भी मूल्य वर्ग का ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

(iii) ई–स्टाम्प सृजित करने हेतु पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं को स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा लॉगइन आई0डी0 (login ID) एवं पासवर्ड प्रदान किया जायेगा। पंजीकृत स्टाम्प विक्रेता ई–स्टाम्प सृजित करने हेतु आवश्यक धनराशि स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के खाते में जमा रखेगें तथा जमा की गयी धनराशि की सीमा तक के मूल्य वर्ग का ई–स्टाम्प सृजित कर सकेगें।

(iv) पंजीकृत स्टाम्प विक्रेता ₹ 500 तक के ई–स्टाम्प ए–4 साईज के सामान्य पेपर पर एवं ₹ 500 से अधिक के ई–स्टाम्प पूर्व मुद्रित सिक्योरिटी कलर पेपर पर प्रिन्ट करेगा।

(v) स्टाम्प विक्रेता द्वारा जारी किये गये प्रत्येक ई–स्टाम्प पर 0.85 प्रतिशत की दर से स्टाम्प विक्रेता को कमीशन देय होगा। कोषागारों द्वारा पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं को ई–स्टाम्प के विक्रय पर देय कमीशन को मासिक आधार पर अगले माह की 07 तारीख तक सृजित ई–स्टाम्पों की धनराशि का मिलान करने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। उक्त कमीशन

स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपने अधीन अधिकृत संग्रह केन्द्र (ए0सी0सी0) को दिये जाने वाले कमीशन के अतिरिक्त होगा।

(vi) स्टाम्प विक्रेता ई–स्टाम्प के विक्रय हेतु कम्प्यूटर, इन्टरनेट एवं स्टेशनरी आदि पर होने वाले व्यय की क्षतिपूर्ति कर सकें, इसलिये स्टाम्प विक्रेता सृजित प्रत्येक ई–स्टाम्प के लिये ₹ 10 प्रति ई–स्टाम्प स्टेशनरी शुल्क के रूप में क्रेता से प्राप्त करेगा।

3– राज्य में वर्तमान में छापित स्टाम्प (पेपर स्टाम्प) एवं ई–स्टाम्प व्यवस्था समानान्तर रूप से चलती रहेगी, किन्तु भविष्य में राज्य में पूर्णतः ई–स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 193 (1)/XXVII(9)/2014/स्टाम्प–42/2008/TC-I तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी (स्टाम्प) हरिद्वार।
6. एरिया मैनेजर, स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन, ऑफ इण्डिया लि0 (SHCIL)।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

136

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या / 2014 / XXVII (9) / स्टाम्प–11 / 2014
देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष, 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 630 / XXVII(9) / 2010 / स्टाम्प–47 / 2010 दिनांक 23 अगस्त, 2010 में आंशिक उपान्तर करते हुये जिला नैनीताल के उप–जिला हल्द्वानी, प्रथम व उप–जिला हल्द्वानी द्वितीय की सीमाओं में परिवर्तन करते हुये जिला नैनीताल के उप–जिला हल्द्वानी, प्रथम व उप–जिला हल्द्वानी द्वितीय की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ तीन में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते है।

2– राज्यपाल, उर्पयुक्त परिवर्तन को दिनांक 11.08.2014 से प्रभावी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

कार्यालय उप–रजिस्ट्रार हल्द्वानी (प्रथम) (द्वितीय) हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार

क्रम सख्या	उप जिले का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	हल्द्वानी (प्रथम)	उप–निबन्धन जिला हल्द्वानी प्रथम तथा उप–निबन्धन जिला हल्द्वानी द्वितीय का समस्त क्षेत्र
2	हल्द्वानी (द्वितीय)	उप–निबन्धन जिला हल्द्वानी प्रथम तथा उप–निबन्धन जिला हल्द्वानी द्वितीय का समस्त क्षेत्र

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या– 223 (1) / 2014 / XXVII (9) / स्टाम्प–11 / 2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, नैनीताल।
3– न्याय / विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड, शासन।

क्रमशः...2

4– निदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 50–50 प्रतियॉ शासन में उपलब्ध करा दें।

5– प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

138

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या /2014/XXVII (9)/स्टाम्प–11/2014
देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष, 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 475/XXVII(9)/2010/स्टाम्प–37/2010 दिनांक 16 जून, 2010 में आंशिक उपान्तर करते हुये जिला हरिद्वार के उप–जिला हरिद्वार, प्रथम व उप–जिला हरिद्वार द्वितीय की सीमाओं में परिवर्तन करते हुये जिला हरिद्वार के उप–जिला हरिद्वार, प्रथम व उप–जिला हरिद्वार द्वितीय की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ तीन में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते है।

2– राज्यपाल, उर्पयुक्त परिवर्तन को दिनांक 11.08.2014 से प्रभावी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

कार्यालय उप–रजिस्ट्रार हरिद्वार (प्रथम) (द्वितीय)
हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार

क्रम सख्या	उप जिले का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	हरिद्वार (प्रथम)	उप–निबन्धन जिला हरिद्वार प्रथम तथा उप–निबन्धन जिला हरिद्वार द्वितीय का समस्त क्षेत्र
2	हरिद्वार (द्वितीय)	उप–निबन्धन जिला हरिद्वार प्रथम तथा उप–निबन्धन जिला हरिद्वार द्वितीय का समस्त क्षेत्र

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या–225 (1)/2014/XXVII (9)/स्टाम्प–11/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3– न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड, शासन।

क्रमशः...2

4– निदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 50–50 प्रतियॉ शासन में उपलब्ध करा दें।

5– प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या — /2014/XXVII (9)/स्टाम्प–11/2014
देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष, 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 539/XXVII(9)/2010/स्टाम्प–09/2010 दिनांक 04 अगस्त 2010 में आंशिक उपान्तर करते हुये जिला देहरादून के उप–जिला देहरादून प्रथम, उप–जिला देहरादून द्वितीय, उप–जिला देहरादून तृतीय व उप–जिला देहरादून चतुर्थ की सीमाओं में परिवर्तन करते हुये जिला देहरादून के उप–जिला देहरादून प्रथम, उप–जिला देहरादून द्वितीय, उप–जिला देहरादून तृतीय व उप–जिला देहरादून चतुर्थ की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ तीन में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते है।

2– राज्यपाल, उर्पयुक्त परिवर्तन को दिनांक 11.08.2014 से प्रभावी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

कार्यालय उप–रजिस्ट्रार देहरादून (प्रथम) (द्वितीय) (तृतीय) (चतुर्थ) हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार

क्रम सख्या	उप जिले का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	देहरादून (प्रथम)	उप निबंधन जिला देहरादून प्रथम, उप निबंधन जिला देहरादून द्वितीय, उप निबंधन जिला देहरादून तृतीय तथा उप निबंधन जिला देहरादून चतुर्थ का समस्त क्षेत्र
2	देहरादून (द्वितीय)	उप निबंधन जिला देहरादून प्रथम, उप निबंधन जिला देहरादून द्वितीय, उप निबंधन जिला देहरादून तृतीय तथा उप निबंधन जिला देहरादून चतुर्थ का समस्त क्षेत्र
3	देहरादून (तृतीय)	उप निबंधन जिला देहरादून प्रथम, उप निबंधन जिला देहरादून द्वितीय, उप निबंधन जिला देहरादून तृतीय तथा उप निबंधन जिला देहरादून चतुर्थ का समस्त क्षेत्र
4	देहरादून (चतुर्थ)	उप निबंधन जिला देहरादून प्रथम, उप निबंधन जिला देहरादून द्वितीय, उप निबंधन जिला देहरादून तृतीय तथा उप निबंधन जिला देहरादून चतुर्थ का समस्त क्षेत्र

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या– 226 (1)/2014/XXVII (9)/स्टाम्प–11/2014 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड, शासन।
4– निदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 50–50 प्रतियॉ शासन में उपलब्ध करा दें।
5– प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

C:\Users\hp\Desktop\Indra\2014\Rules Draft..doc

140

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या /2014/XXVII (9)/स्टाम्प–11/2014
देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष, 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 535/XXVII(9)/2013/स्टाम्प–12/2011 दिनांक 10 जनवरी, 2014 में आंशिक उपान्तर करते हुये जिला हरिद्वार के उप–जिला रूड़की प्रथम, उप–जिला रूड़की द्वितीय व उप–जिला रूड़की तृतीय की सीमाओं में परिवर्तन करते हुये जिला हरिद्वार के उप–जिला रूड़की प्रथम, उप–जिला रूड़की द्वितीय व उप–जिला रूड़की तृतीय की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ तीन में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते है।

2– राज्यपाल, उर्पयुक्त परिवर्तन को दिनांक 11.08.2014 से प्रभावी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

कार्यालय उप–रजिस्ट्रार रूड़की (प्रथम) (द्वितीय) (तृतीय) हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार

क्रम सख्या	उप जिले का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	रूड़की (प्रथम)	उप–निबन्धन जिला रूड़की प्रथम, उप–निबन्धन जिला रूड़की द्वितीय तथा उप–निबन्धन जिला रूड़की तृतीय का समस्त क्षेत्र
2	रूड़की (द्वितीय)	उप–निबन्धन जिला रूड़की प्रथम, उप–निबन्धन जिला रूड़की द्वितीय तथा उप–निबन्धन जिला रूड़की तृतीय का समस्त क्षेत्र
3	रूड़की (तृतीय)	उप–निबन्धन जिला रूड़की प्रथम, उप–निबन्धन जिला रूड़की द्वितीय तथा उप–निबन्धन जिला रूड़की तृतीय का समस्त क्षेत्र

(भास्करानन्द)
सचिव।

क्रमशः...2

C:\Users\hp\Desktop\indra\2014\Rules Draft..doc

संख्या– 227 (1)/2014/XXVII (9)/स्टाम्प–11/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी, हरिद्वार।

3– न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड, शासन।

4– निदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 50–50 प्रतियॉ शासन में उपलब्ध करा दें।

5– प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या /2014/XXVII (9)/स्टाम्प–11/2014
देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष, 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 321/XXVII(9)/2010/स्टाम्प–05/2010 दिनांक 18 मई, 2010 में आंशिक उपान्तर करते हुये जिला देहरादून के उप–जिला विकासनगर, प्रथम व उप–जिला विकासनगर द्वितीय की सीमाओं में परिवर्तन करते हुये जिला देहरादून के उप–जिला विकासनगर, प्रथम व उप–जिला विकासनगर द्वितीय की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ तीन में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते है।

2– राज्यपाल, उर्पयुक्त परिवर्तन को दिनांक 11.08.2014 से प्रभावी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

कार्यालय उप–रजिस्ट्रार विकासनगर (प्रथम) (द्वितीय) हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार

क्रम सख्या	उप जिले का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	विकासनगर (प्रथम)	उप–निबन्धन जिला विकासनगर प्रथम तथा उप–निबन्धन जिला विकासनगर द्वितीय का समस्त क्षेत्र
2	विकासनगर (द्वितीय)	उप–निबन्धन जिला विकासनगर प्रथम तथा उप–निबन्धन जिला विकासनगर द्वितीय का समस्त क्षेत्र

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या– 224 (1)/2014/XXVII (9)/स्टाम्प–11/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड, शासन।
4– निदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 50–50 प्रतियॉ शासन में उपलब्ध करा दें।

क्रमश..2..

C:\Users\hp\Desktop\Indra\2014\Rules Draft .doc

5– प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

88

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– / XXVII(9) / 2013 / स्टाम्प –40 / 2012
देहरादूनः दिनांकः 03 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, अखिल गढ़वाल सभा, देहरादून को नगर निगम, देहरादून द्वारा ग्राम इन्दरपुर, नवादा में सामुदायिक मिलन केन्द्र तथा पुस्तकालय निर्माण के लिये प्रदान की गयी एक एकड़ भूमि (खसरा नं0–38 मि0) पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या–220 (1) / XXVII(9) / 2013 / स्टाम्प–40 / 2012 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल ।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, देहरादून।
7. श्री रोशन धस्माना, महासचिव, अखिल गढ़वाल सभा, 71/6, चौधरी बिहारी लाल मार्ग, नेशविला रोड, देहरादून।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
9. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।

C:\Users\hp\Desktop\Indra\2013\Rules Draft..doc

308

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– XXVII(9)/2013/स्टाम्प–53/2009
देहरादून :: दिनांकः 26 जुलाई, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित (समय–समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या 719/27–9–2008/स्टाम्प–53/2009 दिनांक 06.10.2009 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अधिक स्त्रियों के पक्ष में पच्चीस लाख रूपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत तक क़मी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

परन्तु, यह कि यदि किसी लिखत के संबंध में किसी स्त्री के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य पच्चीस लाख रूपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में पच्चीस लाख रूपये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी। एक स्त्री या उससे अधिक स्त्रियों और एक पुरूष या उससे अधिक पुरूषों के पक्ष में संयुक्त रूप में निष्पादित अन्तरण विलेख की दशा में स्त्री/स्त्रियों के यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक स्टाम्प शुल्क में उक्तानुसार कमी कर दी जाएगी, किन्तु यदि स्त्री/स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा, मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकार्य न की गयी हो।

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–342 (1)/XXVII(9)/2013/ स्टाम्प–53/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200–200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. /2013/XXVII (9)/2013/ Stamp-53/2009, Dehradun:: dated: July, 2013 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No.342/2013/XXVII(9)/2013/ Stamp-53/2009
Dehradun: Dated: 26 July, 2013

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) (as amended from time to time) read with section 21 of the General clause Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in supersession of Notification No. 719/27-09-2008 /Stamp-53/2009 dt 06-10-2009 the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty upto twenty five percent in respect of transfer of immovable property for a value of rupees twenty five lakh in favour of one or more women individually or severally.

Provided that if the transfer deed in favour of a women is valued more than twenty five lakh rupees, the stamp duty upto twenty five lakh rupees shall be calculated on the twenty five percent reduced value and the stamp duty on higher than Rupees twenty five lakh will be calculated at the previous prevailing rates. If the transfer deed is executed in favour of one woman or more and one man or more, if the share of the woman/women is specified then the stamp duty payable on such instrument shall be reduced to the extent of the share of the woman/women, but if such share of the woman/women is not specified in the instrument, then, the stamp duty shall be payable on the instrument as if no reduction in stamp duty had been granted on such instrument.

(Rakesh sharma)
Principal Secretary,

221

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–यू0ओ0–03 / XXVII(9) / 2013 / स्टाम्प / 2010–T.C
देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 78 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ग्राम सुमाड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल, में स्थित 30.688 हैक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एन0आई0टी0) के नाम दान पत्र के माध्यम से अंतरित किये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–यू0ओ0–03 / XXVII(9) / 2013 / स्टाम्प / 2010–T.C तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव / सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / जिलाधिकारी, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून उत्तराखण्ड।
5. न्याय / विधायी अनुभाग।
6. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्तअधिसूचना को (अंग्रेजी के रूपान्तरण सहित) आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100–100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. U.O.03/XXVII (9)/ 2013/ Stamp/2010-T.C. Dehradun:: dated: 20 March, 2013 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No.U.O.03 /XXVII(9)/2013\Stamp/2010-T.C
Dehradun: Dated: 20 March, 2013

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section(1) of Section 9 of Indain Stamp Act, 1899 (Central Act no-2 0f 1899) and Section 78 (A) of Registration Act, 1908, The Governor is pleased to remit the stamp fees and registration fees chargeable by the State Government on transfer of 30.688 Hect. land situated at village Sumari, Distt. Pauri Garhwal, by way of giftdeed to the National Institute of Technology (NIT).

(Radha Raturi)
Principal Secretary.

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–9

संख्या -२८४ / 2015 / XXVII(9) / स्टाम्प–40 / 2010

देहरादूनः दिनांक १४ अक्टूबर, 2015

अधिसूचना संख्या–197 / 2015 / XXVII(9) / स्टाम्प–40 / 2010, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली, 2015" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

5– उप महानिरीक्षक निबन्धन / सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड।

6– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 100 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में उपलब्ध करा दें।

7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

(बी0डी0 बेलवाल)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या ... /2015/XXVII(9)/स्टाम्प–40/2010
देहरादूनः दिनांकः 14 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 सपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन 1899) की धारा 27, 47–क एवं 75 के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली–1997 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1 **(1)** इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 में संशोधन

2 उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997, (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 2 में:–

(क) नियम 2 (ट) के पश्चात निम्नलिखित नियम रख दिये जायेगे; अर्थात् :–

2(ठ)–केन्द्रीय मूल्यांकन समिति से शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय मूल्यांकन समिति अभिप्रेत है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(1)सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन–सदस्य, सचिव
(2)सचिव (राजस्व) उत्तराखण्ड शासन–सदस्य
(3)सचिव (नगर विकास) उत्तराखण्ड शासन–सदस्य
(4)सचिव (आवास) उत्तराखण्ड शासन–सदस्य
(5)सचिव (लोक निर्माण) उत्तराखण्ड शासन–सदस्य
(6)आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन–सदस्य

2(ड)–जिला मूल्यांकन समिति से जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला मूल्यांकन समिति अभिप्रेत है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(1)अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)–सदस्य, सचिव
(2)सचिव विकास प्राधिकरण–सदस्य
(3)उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधन–सदस्य
(4)जनपद के समस्त तहसीलदार–सदस्य

(5)जनपद के समस्त उपनिबंधक–सदस्य
(6)कार्यपालक अभियन्ता (लोक निर्माण)–सदस्य
(7)नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद/नगर पचांयत के सभी सम्बन्धित कार्यपालक अधिकरी – सदस्य

नियम 3 में संशोधन 3 **(क)** मूल नियमावली के नियम 3 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेगें, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
विद्यमान उप–नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम**
(1)(क)(सात)–जिले के क्लेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य	(1)(क)(सात)–केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य को, केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित/नियत (यथासंशोधित अनुमोदित/नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित न्यूनतम मूल्य
(1)(ख)(दो)– जिले के क्लेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य	(1)(ख)(दो)– केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित/नियत (यथासंशोधित अनुमोदित/नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित न्यूनतम मूल्य
(1)(3)(छ)(एक) –गैर वाणिज्यिक भवन की स्थिति में, जिले के क्लेक्टर द्वारा नियत इसके निर्माण की न्यूनतम मूल्य, और	(1)(3)(छ)(एक) –गैर वाणिज्यिक भवन की स्थिति में, केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित/नियत (यथासंशोधित अनुमोदित/नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित निर्माण का न्यूनतम मूल्य, और
(1)(3)(छ)(दो)– वाणिज्यिक भवन की स्थिति में, जिले के क्लेक्टर द्वारा नियत इसके आच्छादित क्षेत्र का प्रति वर्गमीटर न्यूनतम मासिक किराया, और	(1)(3)(छ)(दो)–वाणिज्यिक भवन की स्थिति में, केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित/नियत (यथासंशोधित अनुमोदित/नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित वाणिज्यिक भवन की प्रति वर्गमीटर न्यूनतम दर, जिसमें वाणिज्यिक भवन की भूमि एवं भवन के किराये की दर सम्मिलित होगी तथा जिसके आधार पर किराये की दर निकालने का सूत्र निम्नवत् होगा:–

(दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की क्षेत्रवार निर्धारित

प्रति वर्गमीटर की दर) – (अकृषि भूमि की क्षेत्रवार निर्धारित प्रति वर्ग मीटर की दर X 2)

300

(ख) नियम 3 (3) के पश्चात निम्नलिखित नियम रख दिये जायेगें; अर्थात् :–

3(4)नियम 2(ठ) में परिभाषित केन्द्रीय मूल्यांकन समिति नियम 2(ड) में परिभाषित जिला मूल्यांकन समिति को स्वप्रेरणा से अथवा आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश देगी। केन्द्रीय मूल्यांकन समिति समय–समय पर जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित न्यूनतम मूल्य की समीक्षा करेगी, यदि केन्द्रीय मूल्यांकन समिति समीक्षा के दौरान विसंगति पाती है अथवा उसके समक्ष समुचित विचार के लिए प्रकरण प्रस्तुत होता है, तो समिति सम्यक् विचारोपरान्त उसका निराकरण करेगी परन्तु निराकरण होने तक जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा प्रख्यापित न्यूनतम मूल्य प्रभावी रहेगा।

3(5)नियम 2(ठ) में परिभाषित जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशो के अनुसार न्यूनतम मूल्य को प्रस्तावित करने की कार्यवाही में निम्नलिखित तथ्यो का भी ध्यान रखा जायेगा:–

(1) जिला मूल्यांकन समिति नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु समान सामान्य दर (Base rate) के आधार पर दस से अनधिक श्रेणियां निर्धारित करेगी।

परन्तु, सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थिति सम्पत्ति हेतु निर्धारित मानी जायेगी। सम्पत्ति के 05 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित होने, 12 मीटर से अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित होने, 15 मीटर से अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित होने तथा 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित होने की दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में अनुपातिक रूप से प्रतिशत वृद्धि करेगी।

(2) जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा दरो के प्रस्ताव किये जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व) के द्वारा प्रत्येक मौजा/ क्षेत्रवार में प्रत्येक श्रेणी की भूमि/सम्पत्ति के उच्चतम मूल्यांकन के पॉच हस्तान्तरणो से सम्बन्धित ऑकडे, निबंधन कार्यालयो से प्राप्त किये जायेंगे।

परन्तु यदि किसी मौजा/क्षेत्र में पॉच हस्तान्तरण नही हुये हों तो समीपवर्ती मौजा/क्षेत्र में प्रत्येक श्रेणी की भूमि/सम्पत्ति के उच्चतम मूल्यांकन के पॉच हस्तान्तरणो से सम्बन्धित ऑकडे, निबधंन कार्यालयो से प्राप्त किये जायेंगे, का संज्ञान लिया जायेगा।

(3)जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा नियम 3(3)1 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये ऑकडो के अतिरिक्त स्थल निरीक्षण के आधार पर भी न्यूनतम मूल्य के निर्धारण का प्रस्ताव किया जा सकेगा। न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के प्रस्ताव के समय समिति उक्त सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन, केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त ऑकडे, क्षेत्र में लगने वाली नवीन परियोजनाओ, प्रस्तावित नई सडको तथा कस्बाई क्षेत्र के विकास की समीक्षा कर उसके प्रभाव का भी समावेश न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के प्रस्ताव में कर सकेगी।

(4)जिला मूल्यांकन समिति शहरी क्षेत्र की भूमि/सम्पत्ति की न्यूनतम दरो के निर्धारण करने में संरचनात्मक विकास यथा नई सडको का निर्माण, वर्तमान/निकट भविष्य में पब्लिक ट्रान्सपोर्ट की सुविधा/विकास, प्राधिकरण/नगर विकास विभाग की वर्तमान/निकट भविष्य की योजनाओ, बाजार/कार्यालयो/मनोरंजन, सुविधाओ/संस्थाओ/उद्योगो से निकटता, शहरीकरण की प्रवृत्ति, उद्योगो की स्थापना, समरुप प्रकृति वाले भूखंडो के मूल्य आदि कारको पर भी विचार कर सकेगी।

(5)जिला मूल्यांकन समिति किसी क्षेत्र विशेष का स्थल निरीक्षण करा कर मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त कर सकेगी।

(6)जिला मूल्यांकन समिति किसी व्यक्ति को बुला कर उससे बयान प्राप्त कर सकेगी।

(7)जिला मूल्यांकन समिति इन्टरनेट अथवा विज्ञापन के किन्ही अन्य माध्यमो से विज्ञापित की गयी दरों का भी संज्ञान ले सकेगी।

(8)जिला मूल्यांकन समिति विभिन्न बैंको से हाऊसिंग प्रोजेक्ट/आवास ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी पत्रावलियो से सम्पत्तियो के बाजारी दर की जानकारी प्राप्त कर उन दरो का भी संज्ञान ले सकेगी।

(9)जिला मूल्यांकन समिति गवर्नमैन्ट एप्रूव्ड वैल्यूअर से सम्पत्तियो के बाजारी दर की जानकारी

प्राप्त कर उन दरो का भी संज्ञान ले सकेगी।

(10)जिला मूल्यांकन समिति नगरों/विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चौराहों को ग्रोथ सेन्टर मानते हुये चौराहों से लगभग 500 मीटर की परिधि तक सर्किल दर निर्धारित करेगी। यदि किसी क्षेत्र/सड़क का कोई स्पष्ट चौराहा नहीं है अथवा सड़क की लम्बाई चौराहे के 500 मीटर की परिधि में नहीं आ रही है तब वहॉ पर नजदीकी मुख्य मार्ग से सर्किल रेट का निर्धारण किया जायेगा। सर्किल रेट के निर्धारण में सम्पत्ति के सड़क से दूरी के प्राविधान रखे जायेगें। जैसे 0–50 मी0 और 51 से 200 मीटर अथवा 51 से 350 मीटर से आगे इत्यादि एवं उनके पृथक–पृथक बेस रेट निर्धारित करेगी।

(11) जिला मूल्यांकन समिति अपार्टमैन्ट के सर्किल दरों के निर्धारण हेतु सभी फ्लोर को रजिस्ट्री हेतु एक समान सर्किल दर तय करेगी। फ्लैट की सर्किल दरों के निर्धारण हेतु बैंको के द्वारा स्वीकृत ऋण से क्रय किये गये फ्लैटों के पूर्व पंजीकृत विलेखों में दी गयी दरों का भी संज्ञान लेगी।

(12) जिला मूल्यांकन समिति औद्योगिक क्षेत्रों/वाणिज्यिक क्षेत्रों से लगी हुयी कृषि भूमि जो कि उन क्षेत्रों की 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित हो, की दर में अनुपातिक वृद्धि करते हुये उक्त कृषि भूमि की दर पृथक से नियत करेगी।

(13) ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि दरों की प्रभार्यता हेतु जिला मूल्यांकन समिति अपने स्तर से अकृषि भूमि के क्षेत्रफल की सीमा को यथा आवश्यकतानुसार निर्धारण करेगी, परन्तु किसी भी दशा में यह न्यूनतम सीमा 500 वर्गमीटर से कम नही होगी।

नियम 4 का संशोधन **4–** मूल नियमावली के नियम 4 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (1), (2) और (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप–नियम रख दिये जायेगे; अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उप–नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम**
(1) जिले के कलक्टर, जहॉ तक संभव हो, अगस्त के महीने में द्विवार्षिक रूप से जिले के विभिन्न भागों में स्थित भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति एकड़/प्रति वर्गमीटर, गैर वाणिज्यिक भवनों के प्रति वर्गमीटर निर्माण	**(1)** केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य को केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित/नियत (यथासंशोधित अनुमोदित/नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति के

का न्यूनतम मूल्य और वाणिज्यिक भवनों के प्रति वर्गमीटर न्यूनतम मासिक किराया निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा–	द्वारा 01 अक्टूबर को वार्षिक रूप से विभिन्न भागों में स्थित कृषि/अकृष्य भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेअर/प्रति वर्गमीटर, गैर वाणिज्यिक भवनों के प्रति वर्गमीटर निर्माण का न्यूनतम मूल्य और वाणिज्यिक भवन की प्रति वर्गमीटर न्यूनतम दर, जिसमें वाणिज्यिक भवन की भूमि एवं भवन के किराये की दर सम्मिलित होगी, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रख्यापित करेगी–
(क) भूमि की स्थिति में – (एक) भमि का वर्गीकरण, (दो) सिंचाई सुविधा की प्राप्यता, (तीन) सड़क, बाजार, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कारखानों, शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों से सामीप्य और (चार) इसके नगरीय क्षेत्र, अर्ध–नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति के संदर्भ में अवस्थिति,	**(क)** भूमि की स्थिति में– (एक) भूमि का वर्गीकरण, (दो) सिंचाई सुविधा की प्राप्यता, (तीन) सड़क, बाजार, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कारखानों, शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों से सामीप्य, (चार) इसके नगरीय क्षेत्र, अर्ध–नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति के संदर्भ में अवस्थिति, और (पाँच) विकसित क्षेत्र से दूरी,
(ख) गैर वाणिज्यिक भवन की स्थिति में– (एक) भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की लागत (दो) मजदूरी प्रभार (तीन) निर्माण का प्रकार, भवन की आयु और मूल्य ह्रास,	**(ख)** गैर वाणिज्यिक भवन की स्थिति में– (एक) भवन की अवस्थिति और भवन के निर्माण की लागत (दो) निर्माण का प्रकार, भवन की आयु और मूल्य ह्रास,
(ग) वाणिज्यिक भवन की स्थिति में– (एक) परिक्षेत्र में विद्यमान किराया, और (दो) परिक्षेत्र में आर्थिक कियाकलाप की प्रकृति	**(ग)** वाणिज्यिक भवन की स्थिति में – (एक) परिक्षेत्र में प्रचलित दरें और वाणिज्यिक भवन का प्रकार, और (दो) परिक्षेत्र में आर्थिक कियाकलाप की प्रकृति
(2) जिले का कलेक्टर स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसको दिये गए आवेदन पत्र पर, उप नियम (1) के अधीन उसके द्वारा नियत भूमि के या गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण के न्यूनतम मूल्य या वाणिज्यिक भवन के न्यूनतम किराये की अशुद्धता के बारे में लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यथास्थिति, न्यूनतम मूल्य या किराये के नियत किये जाने से दो वर्ष की अवधि के भीतर पुनरीक्षित कर सकता है, परन्तु यह कि– **(क)** यदि जिले का कलक्टर सर्किल दरों	**(2)** जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसको दिये आवेदन पत्र पर उप–नियम (1) के अधीन उसके द्वारा प्रख्यापित भूमि के या गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण के न्यूनतम मूल्य या वाणिज्यिक भवन की न्यूनतम दरो की अशुद्धता के बारे में लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, समाधान कर लेने पर, यथास्थिति, न्यूनतम मूल्य या न्यूनतम दरो के प्रख्यापित किये जाने से एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनरीक्षित करने हेतु अपनी संस्तुति केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को प्रेषित कर सकेगी, परन्तु यह कि– केन्द्रीय मूल्यांकन समिति, जिला मूल्यांकन समिति

के पुनरीक्षण के समय किसी क्षेत्र विशेष की सर्किल दरों को कम करता है, पूर्ववत रखता है अथवा पूर्व दरों में 50 प्रतिषत से अधिक की वृद्धि करता है, तो वह लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस आशय का औचित्यपूर्ण स्पष्ट आदेश पारित करेगा। **(ख)** राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या इस निमित्त दिये गये आवेदन पर राज्य के किसी भाग अथवा किसी विशिष्ट सम्पत्ति की सर्किल दरों को संशोधित या पुनर्निधारित कर सकती है।	द्वारा की गयी उक्त संस्तुति पर अथवा स्वप्रेरणा से या इस निमित्त दिये गये आवेदन पर राज्य के किसी भाग अथवा किसी विशिष्ट सम्पत्ति की सर्किल दरों को किसी भी सीमा तक संशोधित या पुनर्निधारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर सकती है, जिसका प्रख्यापन जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा तत्समय किया जायेगा।
(3)–जिले के कलेक्टर उपनियम (1) के अधीन प्रति एकड/प्रति वर्गमीटर भूमि का और गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण का न्यूनतम मूल्य और वाणिज्यिक भवन का न्यूनतम किराया प्रति वर्गमीटर नियत करने के पश्चात रजिस्ट्रार को तीन भागो में एक विवरण भेजेगा। ऐसे विवरण के प्रथम भाग में नगरीय क्षेत्र, अर्द्वनगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को उसकी अधिकारिता के अधीन उस जिले के प्रत्येक उपजिले का भाग होगा। द्वितीय भाग में उप–जिले के विभिन्न भागों में स्थित भूमि की न्यूनतम कीमत विनिर्दिष्ट होगी और तीसरे भाग में गैर वाणिज्यिक भवन की स्थिति में निर्माण का न्यनतम मूल्य और वाणिज्यिक भवन की स्थिति में उपनियम (1) के अधीन नियत न्यूनतम किराया होगा।	**(3)** केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित/नियत (यथासंशोधित अनुमोदित/नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्गमीटर भूमि का और गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण का न्यूनतम मूल्य प्रति वर्गमीटर और वाणिज्यिक भवन की न्यूनतम दर प्रति वर्गमीटर प्रख्यापित करने के पश्चात रजिस्ट्रार को तीन भागो में एक विवरण भेजेगी। ऐसे विवरण के प्रथम भाग में नगरीय क्षेत्र, अर्द्वनगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को उसकी अधिकारिता के अधीन उस जिले के प्रत्येक उपजिले का भाग होगा। द्वितीय भाग में उप–जिले के विभिन्न भागों में स्थित भूमि की न्यूनतम कीमत विनिर्दिष्ट होगी और तीसरे भाग में गैर वाणिज्यिक भवन की स्थिति में निर्माण का न्यूनतम मूल्य और वाणिज्यिक भवन की स्थिति में उपनियम (1) के अधीन प्रख्यापित न्यूनतम दर होगा।

नियम 5 का संशोधन **5–** मूल नियमावली के नियम 5 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (क)(क) और (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप–नियम रख दिये जायेंगे; अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
(क) (क)–भूमि की स्थिति में चाहे कृष्य है या अकृष्य – नियम 4 के अधीन जिले के क्लेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य द्वारा गुणित भूमि का क्षेत्रफल	**(क)** (क)–भूमि की स्थिति में चाहे कृष्य है या अकृष्य – नियम 4 के अधीन केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित/नियत (यथासंशोधित

	अनुमोदित/नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित न्यूनतम मूल्य गुणित भूमि का क्षेत्रफल
(ग) भवनो की स्थिति में	**(ग)** भवनो की स्थिति में
(एक) गैर वाणिज्यिक भवन–भूमि का न्यूनतम मूल्य चाहे निर्माण द्वारा आच्छादित हो या नही जो खण्ड क के अधीन लिखत की विषयवस्तु के अनुसार निकाला जायेगा और नियम 4 के अधीन जिले के कलेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य भवन के प्रत्येक मंजिल के निर्मित क्षेत्र को गुणा करके भवन के निर्माण का तय पाया गया मूल्य होगा, का जोड़,	**(एक)** गैर वाणिज्यिक भवन–भूमि का न्यूनतम मूल्य चाहे निर्माण द्वारा आच्छादित हो या नही जो खण्ड क के अधीन लिखत की विषयवस्तु के अनुसार निकाला जायेगा और नियम 4 के अधीन केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित/नियत (यथासंशोधित अनुमोदित/नियत) किये जाने के उपरान्त भवन के प्रत्येक मंजिल के निर्मित क्षेत्र को गुणा करके जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित न्यूनतम मूल्य भवन के निर्माण का तय पाया गया मूल्य होगा, का जोड़,
(दो) वाणिज्यिक भवन– भूमि का न्यूनतम मूल्य चाहे निर्माण द्वारा आच्छादित हो या नही जो खण्ड क के अधीन लिखत की विषयवस्तु के अनुसार निकाला जायेगा और नियम 4 के अधीन जिले के कलेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य द्वारा भवन के प्रत्येक मंजिल के निर्मित क्षेत्र को गुणा करके भवन के तय पाये गये न्यूनतम मासिक किराये का तीन सौ गुना होगा, का जोड़,	**(दो)** वाणिज्यिक भवन– भूमि का न्यूनतम मूल्य चाहे निर्माण द्वारा आच्छादित हो या नही जो खण्ड क के अधीन लिखत की विषयवस्तु के अनुसार निकाला जायेगा और नियम 4 के अधीन केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित/नियत (यथासंशोधित अनुमोदित/नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित न्यूनतम मूल्य प्रति वर्गमीटर को भवन के प्रत्येक मंजिल के क्षेत्रफल से गुणा करके,

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।